उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-57/2018-19

अरविन्द झा

बनाम्

जनार्दन पासवान वगैरह

-: आदेश :-

दिनांक 01.03.

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्व कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान में अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्ता अरविन्द झा, पे0 –स्व0 जगदीश झा, सा0–बेलटीकरी, थाना–महागामा, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केश नं0–230/16–17 के आदेश दिनांक–13.10.2017 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने आर0ई0आर0 केश नं0–230/16–17 के आदेश दिनांक–13.10.2017 के द्वारा अपीलकर्त्ता को मौजा–बेलटीकरी जमाबंदी सं0–13 के अंदर रकवा 00–01–00 धुर जमीन से उच्छेद किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरवादी सं0–01 जनार्दन पासवान ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में मौजा–बेलटीकरी नं0–600 के जमाबंदी सं0–13 दाग नं0–267 रकवा 00–01–00 धुर जमीन जो सर्वे के अनुसार मकान की जमीन है, से अपीलकर्त्ता को उच्छेद करने के लिए आवेदन दाखिल किया था। प्रक्रिया चलने के दरम्यान मो0 जया देवी ने मध्यागन्तुक पक्षकार बनने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया था एवं उस वाद में मो0 जया देवी के द्वारा प्रत्युत्तर आवेदन दाखिल किया गया एवं उस प्रत्युत्तर आवेदन में उल्लेख किया गया था कि मो0 जया देवी के पति के द्वारा अपीलकर्त्ता के पिता को वर्ष 1937 मे श्राद कर्म के एवज में आवास हेतु प्रश्नगत जमाबंदी के दाग नं0–267 रकवा 00–01–00 धुर जमीन दान में दिया गया था। उनका आगे कथन है कि प्रश्नगत जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा के अनुसार मकान की जमीन है एवं मकान की जमीन से संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत उच्छेद नहीं किया जा

सकता है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

अपीलकर्त्ता की ओर से अपील आवेदन के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत अपील के काल अवधि को क्षान्त करने के लिए आवेदन दाखिल किया है, जिसके तथ्यों के आलोक में अपील आवेदन को अंगीकार करते हुए उत्तरवादी को पक्ष रखने के लिए नोटिश दिया गया।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–बेलटीकरी नं0–600 जमाबंदी सं0–13 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में जंगली हाजरा, पे0–जहुरी हाजरा के नाम से दर्ज है। जंगली हाजरा को चार पुत्र किसन हाजरा वो चुनचुन हाजरा वो हरिचरण हाजरा वो अर्जुन हाजरा हुए। जंगली हाजरा के पुत्रों ने अपने पैतृक जमीन को आपस में बाँट लिया है। किसन हाजरा को तीन पुत्र विलास हाजरा वो जनार्दन पासवान वा मनुआ पासवान हुए। बँटवारा के अनुसार उक्त जमाबंदी सं0–13 के अंदर दाग नं0–267 रकवा 00–01–00 धुर जमीन उत्तरवादी जनार्दन पासवान को प्राप्त हआ है। जबकि अपीलकर्त्ता गलत दावा कर रहा है कि अपीलकर्त्ता के पिता को वर्ष 1937 ई0 में कुर्फा के माध्यम से उक्त जमीन प्राप्त हुआ है और उक्त जमीन पर उसका मकान है। संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 के तहत रैयती जमीन का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है। उनका आगे यह भी कथन है कि उत्तरवादी अनुसूचित जाति के सदस्य है जबकि अपीलकर्त्ता दबंग प्रवुति के व्यक्ति है। अपीलकर्त्ता ने गलत तरीके से उत्तरवादी जनार्दन पासवान के पैतृक जमीन को कब्जा कर लिया है। इसलिए निम्न न्यायालय के पारित आदेश नियम के विपरीत नहीं है। उन्होंने निम्म न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी मो0 जया देवी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत जमीन मौजा–बेलटीकरी जमाबंदी सं0–13 के दाग नं0–267 के अंदर रकवा 00–01–00 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में मकान मय सहन कहकर दर्ज है। हिस्से के अनुसार प्रक्रियागत जमीन मकान मय सहन की जमीन में से उत्तरवादी जया देवी के पति के हिस्से में एक कट्ठा जमीन

कम मिला था। क्योंकि उक्त एक कट्ठा जमीन को जया देवी के पति ने जमाबंदी रैयत जंगली हाजरा के श्राद कर्म में कुल पुरोहित अपीलकर्त्ता के पिता स्व0 जगदीश झा को 1937 ई0 में दान में दिया था। 1937 ई0 में दान में प्राप्त उक्त जमीन पर बने मकान में जगदीश झा शांतिपूर्ण ढंग से रहे थे एवं उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र अपीलकर्त्ता उस मकान में शांतिपूर्ण ढंग से रह रहें हैं। उनका आगे कथन है कि उत्तरवादी सं0'01 जनार्दन पासवान का उक्त जमीन पर कोई हक वो दखल नहीं रह गया है। क्योंकि उत्तरवारी सं0 मो0 जया देवी के पति ने अपने हिस्से में से 01 कट्ठा जमीन 1937 में दिया है। उत्तरवादी जनार्दन पासवान ने जमीन हड़पने तथा आर्थिक शोषण करने के नियत से उच्छेदी का केश किया है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, महागामा के पत्रांक–147/रा0 दिनांक–14.03.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–बेलटीकरी थाना नं0–600 जमाबंदी सं0–13 दाग नं0–267 रकवा 00–02–05 धुर जमीन किस्म मकान में सहन सर्वे खतियान में जमाबंदी रैयत जंगली हाजरा वल्द जहुरी हाजरा कौम दुसाध शाकिन देह अंकित है। उक्त दाग नं0–267 रकवा 00–02–05 धुर के अंदर अपीलकर्त्ता अरविन्द झा पिता स्व0 जगदीश झा रकवा 00–01–00 धुर जमीन कुर्फा द्वारा दान में प्राप्त होने का दावा किया जा रहा है। उनका आगे प्रतिवेदन है कि उक्त विवाद के संदर्भ में पंचायती भी किया गया है। जिसमें अपीलकर्त्ता अरविन्द झा को 00–01–00 धुर जमीन प्राप्त होने की पुष्टि की गयी है। उत्तरवादी जनार्दन पासवान खतियानी रैयत का पोता है। वर्तमान में उक्त विवादित जमीन पर द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा आँगन के रूप में है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों, जाँच प्रतिवेदन एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–बेलटीकरी थाना नं0–600 जमाबंदी सं0–13 दाग नं0–267 रकवा 00–02–05 धुर जमीन किस्म मकान में सहन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में जंगली हाजरा वल्द जहुरी हाजरा कौम दुसाध शाकिन देह के नाम से दर्ज है। उक्त जमाबंदी के दाग नं0–267 के अंदर रकवा 00–01–00 धुर जमीन से निम्न न्यायालय ने अपीलकर्त्ता अरविन्द झा को उच्छेद किया है। अपीलकर्त्ता ने उक्त जमीन

कुफो से वर्ष 1937 ई0 प्राप्त करने का दावा किया है। लेकिन अंचल अधिकारी, महागामा के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त जमीन पर द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा आँगन के रूप में है। इस प्रकार उक्त जमीन पर उत्तरवादी का दखल कब्जा आँगन के रूप है तो ऐसी स्थिति में अपीलकर्त्ता का कुर्फा के आधार पर दावा निराधार प्रतीत होता है। क्योंकि अपीलकर्त्ता के द्वारा कुर्फा के दावा स्वरूप प्रतिकुल प्रभाव दखल होने का कोई साक्ष्य जनित कागजात दाखिल नहीं किया है। अतः निम्न न्यायालय का आदेश नियमानुकुल प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केश नं0–230/16–17 के आदेश दिनांक–13.10.2017 को बनाये रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

03.03.21
उपायुक्त,
गोड्डा।

03.03.21
उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.07 12:02:44 +05:30
Location: 192.168.29.32